

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर

कार्यालय - आदेश

एन.सी.ई.आर.पी.के. स्कूल, सेक्टर-5, प्रतापनगर, जयपुर को (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता शैक्षिक सत्र 2002-2003 से प्रदान की जाती है। संस्था प्रधान को निर्देश दिये जाते हैं कि आप नवीन मान्यता नियम 1993 के परिशिष्ट 2 में दिये गये शेष समस्त प्रावधानों की पूर्ति करेंगे। नवीन निर्देशों के तहत यदि आवश्यक समझा गया तो मान्यता के सम्बन्ध में विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं।

शर्तें :

1. कक्षा कक्ष अनुसार शत-प्रतिशत अध्यापक नियुक्त किये जावें। नियुक्ति के समय विभागीय प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जावें।
2. प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या बढ़ायी जावें।
3. कार्यरत कर्मचारियों को राजकीय नियमानुसार वेतन भत्तों आदि की सुविधा प्रदान की जावें।
4. आय-व्यय विवरण सी.ए. से प्रमाणित करके प्रतिद्वर्ष प्रस्तुत किया जावें।
5. भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रतिवर्ष दिये जावें।
6. "शिक्षा आपके द्वार" अभियान के तहत शिक्षा से वंचित बच्चों को अपनी सहायता से जोड़कर इस कार्यलय को प्रेरित करावें।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक जयपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्रार/जय/सा-5/फ B-36 /609/2002 दिनांक : 12.7.02

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), जयपुर संभाग, जयपुर
2. संबंधित अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/सांख्यिकी शाखा स्थानीय कार्यालय।
3. सचिव, एन.सी.ई.आर.पी.के. स्कूल, सेक्टर-5, प्रतापनगर, जयपुर ;
4. रक्षित पत्रावली।

G Bedi
Chairman

L.B.S. Public School
Sector-5, Pratap Nagar, JAIPUR

Principal

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक जयपुर